राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 37/2025 निगरानी

1. बलदेव पुत्र कालु बागरिया, निवासी अगरपुरा, ग्राम पंचायत हलेड, पंचायत समिति सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा 2. होकम पुत्र कालु बागरिया, निवासी अगरपुरा, ग्राम पंचायत हलेड़, पंचायत समिति सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा –निगराकार	**बनाम**	1. ग्राम पंचायत हलेड, पंचायत समिति सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा जरिये सचिव / सरपंच ग्राम पंचायत हलेड तहसील व जिला भीलवाडा 2. जगदीश शर्मा पुत्र बालुराम शर्मा निवासी अगरपुरा, जिला भीलवाड़ा –गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतराज अधिनियम 1994
विरूद्ध ग्राम पंचायत हलेड पट्टा संख्या 32 दिनांक 12/08/2024

उपस्थित – श्री भूपेन्द्र सिंह चारण, अधिवक्ता निगराकार की ओर से
श्री अभिमन्यू जोशी, गैर निगराकार–1 की ओर से
श्री अजयपाल सनाढ्य, गैर निगराकार–2 की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 10.02.2026

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में अन्दर हल्का आबादी ग्राम अगरपुरा, ग्राम पंचायत हलेड, तहसील व जिला भीलवाडा मे एक आवासीय भूखण्ड/आवासीय जायदाद नपति उत्तर की ओर 41'.6" दक्षिण की ओर 43'.6" पूर्व की ओर 77' पश्चिम की ओर 77' कुल क्षेत्रफल 3272'.5" वर्गफिट जिसके पडोस पूर्व–आम रास्ता, पश्चिम–अन्य भूखण्ड, उत्तर–मंजु देवी/जगदीश शर्मा दक्षिण–खातेदारी नियम 157 (1) के तहत ग्राम अगरपुरा में स्थित आराजी संख्या 964 रकबा 7 बिस्वा गे.मु. आबादी का आवासीय पट्टा जारी करने का निर्णय व पट्टा प्रचलित विधि व नियमों की बिना पालना किये गलत व अवैध तौर किया गया है। पट्टे मे कथित भूमि/जायदाद का गैर निगराकार संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया वह भूमि विपक्षी संख्या 2 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की एवं उसकी पुश्तैनी नही होकर निगराकार के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है तथा उसकी पुश्तैनी मौरूषी जायदाद हैं जो निगराकार के पिता कालु बागरिया के समय से उनके हक अधिकार, कब्जे मे होकर उपयोग उपभोग मे निरन्तर चली आ रही है। कालु बागरिया की मृत्यु बाद उसके वारिसान के मध्य पारिवारिक बंटवारा के तहत निगराकार के हक हिस्से में आई

10.2.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अन्य वारिसान का उक्त जायदाद में हक हिस्सा नही है। उक्त जायदाद पर निगराकार के पिता का पिछले 75 वर्षों से रिन्तर कब्जा चला आ रहा था निगराकार के पिता की मृत्यु हो चुकी हैं तथा मृत्यु के पश्चात निगराकार उक्त जायदाद पर काबिज होकर मकान बनाकर अपने परिवार सहित निवास करता चला आ रहा हैं तथा अपनी उक्त जायदाद मे निगराकार ने विद्युत कनेक्शन पिछले काफी वर्षों से ले रखा है तथा सरकारी सहायता से अपनी उक्त जायदाद में शौचालय का निर्माण कर रखा है तथा निगराकार अपने जन्म से ही उक्त जायदाद में निवास करता चला आ रहा हैं निगराकार एवं उसके परिवारजन के सभी पहचान के दस्तावेज अपनी उक्त जायदाद के पते के बने हुए हैं। उक्त जायदाद निगराकार की पुश्तैनी जायदाद हैं जिस पर निगराकार के अलावा अन्य किसी का कोई हक अधिकार नही है। निगराकार अपनी उक्त जायदाद पर नियमानुसार पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत पट्टा जारी कराने का अधिकारी हैं लेकिन विपक्षी संख्या 1 के यहां निगराकार द्वारा बार-बार निवेदन करने व पट्टा पत्रावली पेश करने के उपरांत भी विपक्षी संख्या 1 ने उक्त जायदाद का निगराकार के नाम पट्टा जारी नहीं किया तथा उक्त जायदाद से विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 05.02.2014 को मौके पर आकर निगराकार को जबरन उक्त जायदाद से बेदखल करने की धमकी दी जिस पर निगराकार ने गैर निगराकार संख्या 1 को जरिये अधिवक्ता दिनांक 11.02.2014 को पंजीकृत नोटिस अन्तर्गत धारा 109 राजस्थान पंचायतराज अधिनियम के तहत प्रेषित किया एवं उक्त जायदाद से जबरन बेदखल नहीं करने व पट्टा जारी करने की मांग की लेकिन गैर निगराकार संख्या 1 ने निगराकार की उक्त जायदाद का निगराकार के नाम पट्टा जारी नहीं किया तथा जायदाद से जबरन बेदखल करने की पुनः धमकी दी इस पर निगराकार ने गैर निगराकार संख्या 1 के विरूद्व एक वाद/अपील न्यायालय में पेश की जिसको स्वीकार करते हुए न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-2, भीलवाडा ने प्रकरण संख्या 01/2016 अपील दिवानी मे निर्णय दिनांक 23.07.2018 से गैर निगराकार संख्या 01 को निर्देशित किया कि वह निगराकार को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादग्रस्त जायदाद से बेदखल नहीं करे व जायदाद का पट्टा पात्रता के आधार पर निगराकार के नाम जारी करने का आदेश जारी कि उक्त निर्णय व आदेश प्रभावी हैं जिसकी गैर निगराकार संख्या 1 ने कोई अपील आदि नहीं की उक्त अपील/वाद मे न्यायालय ने वादग्रस्त जायदाद की मौका रिपोर्ट जरिये कमिश्नर मंगवाई जिसमे भी वादग्रस्त जायदाद पर निगराकार का कब्जा होना एवं जायदाद उसके हक अधिकार आधिपत्य की पाई। निर्णय व डिक्री एवं कमिश्नर रिपोर्ट की फोटोप्रतियां निगरानी के साथ पेश है। उक्त निर्णय व डिक्री एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट से पूर्णतः यह साबित हैं कि उक्त जायदाद निगराकार के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर उसके हक अधिकार की है। जिस पर गैर निगराकार संख्या 2 का कोई हक अधिकार व कब्जा आदि नही है तथा निगराकार की उक्त जायदाद के संबंध में गैर निगराकार संख्या 1 को गैर निगराकार संख्या 2 के पक्ष मे कोई पट्टा जारी करने का हक अधिकार नही हैं फिर भी गैर निगराकार संख्या 01 ने गैर कानुनी तरीके से गैर निगराकार संख्या 02 के पक्ष मे उक्त गलत एवं अवैध पट्टा बिना किसी हक अधिकार के एवं कब्जे के जारी कर दिया हैं जो निगराकार की जायदाद का होने से बमुकाबले निगराकार अवैध व गलत होने से निरस्त होने योग्य है। निगराकार के पक्ष में न्यायालय का उक्त निर्णय व आदेश होने के पश्चात निगराकार ने अपनी उक्त जायदाद जिसके पडौस पूर्व- चारभुजा की डोहली, पश्चिम- प्यारा रामपाल कुम्हार का मकान उत्तर-आम रास्ता कोटा रोड, दक्षिण-मदन आगाल की आराजी

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

10.2.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नपति 150 बाई 100 फिट का पट्टा जारी करने हेतु नियमानुसार पत्रावली गैर निगराकार संख्या 1 के यहां पेश कर रखी है जिस पर गैर निगराकार संख्या 1 ने प्रस्तुत पट्टे की पत्रावली के संबंध मे निगराकार से पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थनापत्र मौका नक्शा मौका निरीक्षण शुल्क 120/- रू. प्राप्त कर रसीद पुस्तक संख्या 2 कम संख्या 14 दिनांक 24.11.2021 जारी की। जिसको काफी समय व्यतीत हो चुका हैं लेकिन गैर निगराकार संख्या 1 जो कि निगराकार से दुर्भावनाग्रस्त हैं निगराकार द्वारा प्रस्तुत पट्टे की उक्त पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं कर तथा नियमानुसार शुल्क प्राप्त करने के उपरांत भी निगराकार के नाम उक्त जायदाद का पट्टा आज तक जारी नहीं किया, न तो पट्टा जारी करने का निर्णय लिया, न ही पत्रावली निरस्त करने का निर्णय लिया जिससे यह साफ जाहिर होता है कि गैर निगराकार संख्या 1 ने गैर कानुनी तरीके से निगराकार से दुर्भावनाग्रस्त होकर गैर निगराकार संख्या 2 से मिलीभगत कर उक्त तथाकथित पट्टा उसके पक्ष में गलत व अवैध तौर जारी किया है। गैर निगराकार संख्या 1 का उक्त जायदाद पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा हैं, न ही वर्तमान मे है न ही गैर निगराकार संख्या 2 ने उक्त जायदाद में कोई आवास का निर्माण किया, फिर भी गैर निगराकार संख्या 1 ने राजस्थान पंचायतराज अधिनियम के वर्णित नियमों व कानुन से परे जाकर एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए बिना निगराकार को सुने व सुनवाई का अवसर प्रदान किये गैर निगराकार संख्या 2 के पक्ष मे उक्त तथाकथित फर्जी व गलत अवैध पट्टा जारी किया हैं जो गलत व अवैध होने से निरस्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या ने विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में उक्त तथाकथित पट्टा सरासर गलत एवं अवैध जारी किया है कोई भी आवासीय भूमि का नियम 157 (1) के तहत पट्टा जारी करने के संबंध में जायदाद पर संबंधित व्यक्ति को अपना पुराना कब्जा साबित करना होता हैं तथा जायदाद पर उसका पुराने आवास का होना आवश्यक है लेकिन हस्तगत पट्टे मे वर्णित आवासीय जायदाद पर न तो निगराकार संख्या 2 का कोई कब्जा रहा है, न ही वर्तमान में है, न ही उक्त जायदाद पर गैर निगराकार संख्या 2 ने कोई आवास का निर्माण किया है न ही कर रखा है। फिर भी गैर निगराकार संख्या 1 ने गैर निगराकार संख्या 2 से मिलीभगत कर राजस्थान पंचायतराज अधिनियम के नियमों की अवहेलना व अवज्ञा करते हुए उक्त गलत व अवैध पट्टा गैर निगराकार संख्या 1 ने गैर निगराकार संख्या 2 के पक्ष में जारी कर दिया हैं जो कि निगराकार की जायदाद के संबंध में होने से बमुकाबले निगराकार गलत व अवैध हैं तथा निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 1 ने उक्त तथाकथित पट्टा चोरी छुपे बिना निगराकार को सुने, सुनवाई का अवसर प्रदान किये जारी किया है जबकि गैर निगराकार संख्या 1 को यह जानकारी है कि उक्त जायदाद निगराकार की पुश्तैनी होकर उसके कब्जे मे होकर उसके उपयोग उपभोग भुगतभोग में हैं तथा जायदाद पर गैर निगराकार संख्या 2 का कोई हक अधिकार, कब्जा नहीं हैं तथा न ही रहा है न ही उसका कोई आवास का निर्माण हो रखा हैं इसके बावजुद भी गैर निगराकार संख्या 1 ने विधि से परे जाकर उक्त तथाकथित पट्टा गैर निगराकार संख्या 2 के पक्ष में अवैध व मनमाने तौर जारी किया है जो कि कतई वैध नहीं है इस कारण निरस्त होने योग्य है। पट्टा जारी करने में संबंधित ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायत सामान्य नियम के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना करनी होती हैं लेकिन विपक्षी संख्या 2 के पक्ष मे उक्त पट्टा जारी करने में किसी प्रकार के प्रावधानों की पालना नही की गई हैं तथा अवैध तौर विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में निगराकार की भूमि का पट्टा जारी कर दिया जो कि निगराकार के हितों के सरासर विपरीत है। विपक्षी संख्या 1 ने

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

10.2.26

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

विपक्षी संख्या 2 से मिलीभगत कर निगराकार को उसकी भूमि से वंचित करने से उक्त पट्टा जारी किया है जो बमुकाबले निगराकार शुन्य, निस्प्रभावी, निरस्त होने योग्य है। उक्त वादग्रस्त जायदाद अर्थात आराजी संख्या 964 में अथवा उसकी पुर्वी मेड पर कोई रास्ता नहीं हैं फिर भी उक्त तथाकथित पट्टे में पूर्व में आम रास्ता अंकित कर रखा है जिससे यह जाहिर होता है कि उक्त तथाकथित पट्टा साजिशपूर्वक तरीके से अवैध व गलत तौर नियम कानुन से परे जाकर जारी किया हैं जो कतई वैध नहीं है। अतः निवेदन है कि यह निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या 1 द्वारा पत्रावली संख्या 80/2024–25 दिनांक 01/05/2024 के आधार पर विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 32 दिनांक 12/08/2024 जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 27/08/2024 को हुई हैं, को अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से अपास्त निरस्त, शून्य, निस्प्रभावी फरमाया जावे।

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

गैर निगराकार संख्या– 1 एवं 2 के प्रस्तुत जवाब अुनसार निगराकारान् द्वारा पेश निगरानी मन मकसूद आधारो पर दुराशयपुर्वक पेश की गई हैं जो कि कानूनन पोषणीय नहीं हैं, निगराकारान स्वयं अवैध कब्जाधारी/ अतिक्रमी रहे हैं जिन्हे किसी भी स्तर पर निगरानी से सम्बन्धित भूमि पर पट्टा प्राप्त करने की पात्रता व ग्राम पंचायत हलेड द्वारा जारी वैध व पंजीकृत पट्टे को चुनौती देने की पात्रता नहीं हैं। निगराकारान द्वारा पूर्व में भी विभिन्न मंचों पर असफल कार्रवाईया की जा चुकी है एवं वर्तमान निगरानी केवल गैर निगराकार संख्या–2 को हैरान परेशान व प्रताड़ित करने के उद्देश्य से की गई हैं। वस्तु स्थिति यह है कि निगराकारान द्वारा पट्टे की भूमि पर अतिक्रमण एवं अपचार कारित किया गया था जिस बाबत निगराकार संख्या–1 और गैर निगराकार संख्या–2 के मध्य अतिक्रमण एवं अपचार को समाप्त करने बाबत एक ईकरारनामा/राजीनामा भी निष्पादित एवं तकमील किया गया था। उक्त राजीनामे की खिलाफ वर्जी कर निगराकार संख्या–1 द्वारा जैर कार्रवाई निगरानी पेश की गई है तथा पूर्व में निष्पादित इकरारनामा/राजीनामा के इस प्रकरण में प्रकाश में आने व निगरानी दूषित होने की वजह से निगराकार संख्या–2 को मिलीभगत व दुराशयपूर्ण आशय से इस निगरानी में पक्षकार बनाया गया है। ग्राम पंचायत हलेड द्वारा गैर निगराकार संख्या–2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 12/08/2024 को जारी होकर दिनांक 27/08/2024 को पंजीकृत किया गया। माननीय न्यायालय को पंचायतराज अधिनियम की धारा–97 के तहत् यह परीक्षण करना है कि क्या अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा विवादित पट्टा जारी करते समय किसी प्रकार की अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी कोई त्रुटि की गई है अथवा पट्टा आदेश व पट्टा जारी करने का कृत्य स्पष्टतः विधि विरूद्ध/गैर कानूनी हो, प्रस्तुत निगरानी प्रकरण में विवादित पट्टा जारी करने के क्रम में ऐसा कोई कृत्य कारित नहीं किया गया जो कि पट्टा जारी करने वाले प्राधिकारी ग्राम पंचायत हलेड अधिकार क्षेत्र से बाहर **(Ultra Vires)** एवं विधि विरुद्ध हो, गैर निगराकार संख्या–2 को जारी विवादित्त पट्टा ग्राम पंचायत हलेड ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया जिसके तहत् विवादित पट्टे का प्रस्ताव अनुमोदन कर उजरदारी जारी कर आपत्तियां आमंत्रित की गई, आपत्ति पेश नहीं होने की दशा में नियमानुसार शुल्क जमा कर गैर निगराकार संख्या–2 के पक्ष में पट्टा जारी कर पंजीयन कराया गया, इस प्रकार धारा–97 के अन्तर्गत तथ्यो का पुर्नमूल्यांकन **(re appreciation of evidence)** अथवा अपील के रूप में सुनवाई अनुमन्य नहीं

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

10.2.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

है। प्रस्तुत निगरानी वास्तव में अपील का छद्म रूप है जो कि विधि विरुद्ध हैं। निगरानी में विवादित पट्टा ग्राम पंचायत हलेड द्वारा सम्यक् एवं विधिवत् रूप से जारी किया होकर पंजीकृत होकर एक रजिस्टर्ड दस्तावेज बन चुका है एवं इस बाबत् विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि पंजीकृत दस्तावेज की वैधता को चुनोती देने का एक मात्र मंच माननीय सिविल न्यायालय है, न्यायालय श्रीमान् आपको पंजीकृत पट्टे को निरस्त करने का कोई वैधानिक आधार एवं अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इस आधार पर भी निगरानी प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज होने योग्य है। निगराकारान को जैर कार्रवाई निगरानी पेश करने का कोई विधिक प्राधिकार **(Locus Standi)** नही है क्योंकि निगराकारान ना तो भूमि के वैध मालिकान्/स्वामी है और ना ही वैध कब्जाधारी है तथा ना ही निगराकारान के पक्ष में कोई पूर्व पट्टा या वैध राजस्व अभिलेख मौजूद हैं। रिकोर्ड से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2014 में ग्राम पंचायत हलेड द्वारा निगराकारान को वादग्रस्त पट्टे की भूमि से अतिक्रमी/उपतापी मानते हुए बेदखल किया गया था, अतिक्रमी/उपतापी न तो पट्टा मांगने का विधिक अधिकार है तथा ना ही वैध एवं पंजीकृत पट्टे को चुनौती देने का अधिकार है। इस प्रकार निगराकारान को कोई लोकस स्टेण्डी प्राप्त नही है। ग्राम पंचायत हलेड द्वारा विवादित पट्टा जारी करने से पुर्व पंचायतराज नियम के नियमानुसार पट्टा जारी करने से पूर्व भूमि का मौका निरीक्षण किया गया, तत्पश्चात् उजरदारी जारी कर उजरदारी की मियाद गुजरने व किसी प्रकार का कोई उजर ऐतराज नही प्राप्त होने पर दस्तावेजो का निरीक्षण कर व पात्रता का निर्धारण कर समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त ही गैर निगराकार संख्या–2 को पात्र मानते हुए पट्टा जारी किया गया एवं जारी पट्टे को पंजीकृत करवाया गया। निगराकारान जैर निगरानी पट्टे बाबत किसी भी नियम व प्रक्रिया के उल्लघन बाबत कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत करने में पूर्णतः असफल रहे हैं तथा ग्राम पंचायत हलेड द्वारा क्षेत्र के नियोजित विकास एवं आवागमन हेतु 60 फीट चौडे मार्ग का निर्धारिण किया गया जो कि पंचायत की वैधानिक शक्तियों के अन्तर्गत जनहित में हैं। उक्त मार्ग निर्धारण के पश्चात ग्राम पंचायत हलेड की मांग पर गैर निगराकार संख्या–2 जगदीश प्रसाद शर्मा द्वारा विवादित भूमि एवं सम्बन्धित दस्तावेज स्वैच्छा से सार्वजनिक प्रयोजन हेतु ग्राम पंचायत हलेड को दान दिया जाकर दान का विधिवत पंजीयन कराया गया। इस तथ्य से गैर निगराकारान के निजी लाभ के आरोपों का स्पष्टतः खण्डन होता है। निगराकारान के कथनों व अभिवचनों में घोर विरोधाभास है क्योंकि निगराकारान स्वयं को कभी जैर निगरानी पट्टो की भूमि पर खुद को पिछले 75 वर्षों से काबिज बताते है तथा साथ ही साथ कभी तीन अलग–अलग स्थानो पर अपना कब्जा बताते है तथा उक्त तथाकथित कब्जे के आधार पर न्यायालय श्रीमान आपके समक्ष मनमकसूद तथ्यों पर निगरानी पेश करते है। निगराकार जैर निगरानी पट्टे की जमीन को कभी पुश्तैनी भूमि बताते है तथा कभी पंचायत भूमि बताते है। अतः ऐसे आत्म विरोधी एवं अस्थिर एवं भ्रामक कथनो पर कोई भी वैधानिक राहत प्रदान नहीं की जा सकती है। निगराकारान द्वारा पैश निगरानी की विषय वस्तु पर जैर कार्रवाई निगरानी से पूर्व ही एक सिविल वाद प्रकरण संख्या 82/2025 माननीय सिविल न्यायालय पश्चिम भीलवाडा में लम्बित होकर जैर कार्रवाई है तथा उक्त बाद में माननीय सिविल न्यायालय पश्चिम भीलवाडा द्वारा कोई भी स्थगन आदेश जारी नही किया गया है। समान विषय पर पुनः प्रशासनिक निगरानी पेश करना **Fourm Shopping** है जो कि पूर्णतया वर्जित होकर विधि विरूद्ध है। निगराकारान द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय के दिनांक 23/01/2018 के आदेश गलत व्याख्या कर निगरानी पेश की गई है। माननीय न्यायालय के आदेश में कही भी किसी

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

10.2.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

भी प्रकार का यह निर्देश नहीं है कि निगराकारान को ही वादग्रस्त भूमि का पट्टा दिया जाए। आदेश में केवल यह कहा गया था कि **"यदि पात्रता हो तो विधि अनुसार पट्टा जारी किया जावें"** पात्रता निर्धारण ग्राम पंचायत हलेड का विषय है जिसे ग्राम पंचायत हलेड ने नियमानुसार विधि सम्मत रूप से किया है। न्याय एवं साम्या का सिद्धान्त गैर निगराकार संख्या–2 के पक्ष में है निगराकारान वर्षों से अवैध कब्जे के प्रयास करते चले आ रहे है तथा गैर निगराकार संख्या–2 ने विधि प्रक्रिया अपनाकर वैध एवं पंजीकृत पट्टा प्राप्त किया गया था एवं सार्वजनिक हितार्थ ग्राम पंचायत हलेड की मांग पर गैर निगराकार संख्या–2 जगदीश प्रसाद शर्मा द्वारा विवादित भूमि एवं सम्बन्धित दस्तावेज स्वैच्छा से सार्वजनिक प्रयोजन हेतु ग्राम पंचायत हलेड को दान दिया जाकर दान का विधिवत पंजीयन कराया गया। निवेदन है कि उक्त प्रकरण 37/2025 निगरानी को निरस्त करवाने की कृपा करावें।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि गैर निगरानीकर्ता द्वारा अपने पंजीकृत पट्टे का दान–पत्र सावर्जनिक हितार्थ किया जा चुका है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है अतएव–

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत गैर निरानीकर्ता द्वारा प्रश्नगत पट्टे का दान–पत्र सावर्जनिक हितार्थ किये जाने से निगरानी आधारहीन, सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत हलेड पंचायत समिति सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.2.26
(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा